तारीख हुक्म	सत्तार बनाम छगोड़ सिंह मु.नं.– 69/24 किस्म – T.R
	नहीं हो सका। अप्रार्थी 01 उपस्थित हुआ। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 07-2-25 को पेश हो।
नकल प्राप्त की गई	**07-2-25** पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 उपस्थित हुआ। अप्रार्थी सं. 01 ने प्रा. पत्र T.R की नकल प्राप्त की। जवाब प्रा. पत्र T.R पेश करने हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक रसीद पेश नहीं की। डाक रसीद अनिवार्य रूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र T.R अप्रार्थी सं. 01 व तलबी शेष अप्रार्थी सं. 02 व 03 दिनांक 07.3.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
	07-3-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली लम्बे समय से तलबी में लंबित है। प्रार्थी को बार-2 निर्देशों के बावजूद तामीलें / डाक रसीदें पेश नहीं कि जा रही है और निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः पत्रावली आदेश 9 नियम 2 CPC (जहां समनों की तामील, खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों का प्रयोग करके खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)